परिशिष्ट-5

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांकः- प. 6(34) प्र.सु./अनु-3/2008 जयपुर, दिनांक 28.6.2008

आज्ञा

राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रदूषण नियंत्रण एवं दुर्घटना के उपाय हेतु राज्य स्तर पर विभाग के आदेश क्रमांक 6(2) प्रसु/अनु-3/2000, दिनांक 05.02.2000 द्वारा पूर्व में गठित "जिला स्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेन्ट की स्थाई समिति", आदेश क्रमांक 6(21) प्रसु/अनु-3/99, दिनांक 20.05.2003 द्वारा गठित "यातायात सलाहकार समिति" एवं आदेश क्रमांक 6(42) प्रसु/अनु-3/2004, दिनांक 03.09.2004 द्वारा गठित "सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करने हेतु समिति" के अतिक्रमण में उनके द्वारा संपादित कार्यों को समाहित करते हुए "जिला यातायात प्रबन्धन समिति" (टी.एम.सी.) का गठन राज्य के समस्त जिलों में निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:

समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे-

1.	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	जिला प्रमुख	सदस्य
4.	जिले के समस्त विधायकगण	सदस्य
5.	अध्यक्ष, नगर पालिका/परिषद/निगम	सदस्य
6.	अधीक्षण/अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	सचिव, नगर विकास न्यास	सदस्य
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
9.	सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी	सदस्य

संस्थाओं के दो प्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्त्ता

10. ट्रक ऑपेरटर्स का प्रतिनिधि (एक) सदस्य
11. बस ऑपरेटर्स का प्रतिनिधि (एक) सदस्य
12. उप निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) सदस्य
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सदस्य
14. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सदस्य
15. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव
(रीजन मुख्यालयों के जिलों में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी)

क्र.सं. 9, 10 एवं 11 पर अंकित सदस्यों का मनोनयन परिवहन विभाग द्वारा एक वर्ष के लिये किया जावेगा।

<u>समिति के विचारणीय बिन्दु</u>–

1. परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना।
2. शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार–यातायात का प्रचार–प्रसार।
3. यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
4. नये मार्ग खोलने / रूटों पर बस सुविधा संचालन के सुझाव।
5. बस स्टेण्ड / स्टॉप का निर्धारण एवं व्यवस्थाओं में सुधार।
6. अवैध वाहन संचालन रोकने के सुझाव देना एवं अवैध वाहन संचालन रोकने हेतु संयुक्त जांच व्यवस्था के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा।
7. सड़क सुरक्षा–दुर्घटना में कमी लाने एवं दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के सुधार बाबत सुझाव देना।
8. क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलने वाली निजी जीपों, टैक्सियों, बस, मिनी बसों पर नियंत्रण।

9. निजी जीपों, ट्रेक्टर एवं अन्य गैर परिवहन साधनों में सवारी बैठाने पर नियंत्रण।

10. परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार एवं यातायात साधनों की मांग के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था करना।

11. सड़क चौड़ी करने, स्लिप लेन बनाने, ओवर ब्रिज बनाने, सहायक सड़क विकसित करने एवं बेहतर व्यवस्था के सुझाव एवं क्रियान्विति।

12. वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान बनाना एवं क्रियान्विति।

13. ट्रक यूनियनों पर नियंत्रण।

14. भार वाहनों में ओवर लोडिंग पर नियंत्रण।

समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर संबंधित विभाग द्वारा क्रियान्विति की जायेगी। संभागीय आयुक्त उनके क्षेत्राधीन जिलों की "जिला यातायात प्रबन्धन समिति" (टी.एम.सी.) में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा समय-समय पर सुनिश्चित करेंगे। यह स्थाई होगी तथा इसका प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।

आज्ञा से,

25-07-08

उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।

3. निजी सचिव, यातायात मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं यातायात विभाग।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव।
7. शासन उप सचिव (मु.), परिवहन विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियॉ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी